

02
26/2021


पत्रावली प्रेम हृष्टी अधिवक्ता पदनाथन
उपाधीन है अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-
पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
अपनी कसब में बताया कि नामांकन
में विपक्षी संख्या ① ② ③ का नाम गलत
अंकित हो गया है जिसका गोजापुत्र
नाम उद्योग के प्रमाण में है जिसके
संबंध में नामांकन संख्या 317
दिनांक ~~15-6-1989~~ 15-6-1989 की
अपील उद्घुल भट की है जिसके
निस्तारण में सप्त 1989 तक
तक वादग्रस्त प्रार्थी की मौजूदगी
रेकार्ड की प्रमाणीति बनाये रखने
हेतु अस्पाई निवेदन प्रार्थी के
पक्ष में विरुद्ध विपक्षीयता के जारी
की जावे।

अधिवक्ता विपक्षीयता ने अपनी

कसब में बताया कि नामांकन
निपमापुत्रा सुल है फर) विपक्षी
उक्त श्री अस्पाई निवेदन जारी
बड़ी की जा सकरी है उद्योग पत्रावली
फरमाया पत्र।

कसब भट मतर विपक्षीयता

का अवलोकन विपक्षीयता अवलोकन के सिद्ध
है कि नामांकन से संबंधित अपील
सिन्धुवाधीन है जिसमें सुनवाई पर्याप्त
निस्तारण होगा तब तक वाद श्री बाहुल्य
न करे इस हेतु अस्पाई निवेदन
मूल अपील के निस्तारण तक जारी की
जाय प्राप्ति प्रतीत होगा है। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ~~स्वीकार~~ इस
उक्त स्वीकार विपक्षीयता है कि अस्पाई
निवेदन मूल अपील के निस्तारण तक
जारी की जाती है कि उभय पक्ष राजस्व
रेकार्ड की प्रमाणीति बनाये रखे। पत्रावली
फरमाया सुनात क्षेत्र नखट से भंग हो
विपक्षीय सुल न्यायालय में सुनाया गया।



उपलब्ध अधिकारी
सुबलमण्ड
जिला-राजकोट (राज.)